न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 83/2016

1. गुरचरणसिंह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. सिमरकौर पत्नी गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर । '– **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर ।
2. मलकीतसिंह पुत्र उतमसिंह जाति जटसिख निवासी 17 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
3. मुखत्यारसिंह पुत्र उतमसिंह जाति जटसिख निवासी 17 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
4. अमृतपालसिंह पुत्र उतमसिंह जाति जटसिख निवासी 17 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
5. परमजीतकौर पुत्री उतमसिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 8 वी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
6. सुखवीरकौर पुत्री उतमसिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 8 वी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

–रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर

दिनांक 14.01.2011

16/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः–

श्री गुरविन्द्रसिंह , अभिभाषक अपीलांट।

श्री इकबालसिंह राजकीय अधिवक्ता ।

श्री मोहनलाल छाबड़ा अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक :– 16.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मलकीतसिंह आदि ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष पेश कर चक 17 एफ एफ के मु.न. 9 के कि.न. 5, 6, 15, 16 25 में पूर्व दिशा में 10–10 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने हल्फनामा पेश किया। दिनांक 14.01.2011 को अधी. न्यायालय ने पत्रावली कायम की एवं उसी दिन उक्त रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एवं बिना सुने, प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर बिना कोई कानूनी प्रकिया अपनाये रास्ता स्वीकृत कर दिया जबकि विवादित भूमि विभाजन में अपीलार्थीगण को प्राप्त हुई है। अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील

16/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. ने अधी.न्यायालय में प्रार्थना पत्र व हल्फनामा पेश किया जिसके आधार पर अधी.न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा. पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 14.01.2011 के विरूद्ध दिनांक 28.03.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश करके नहीं किया हैं ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.01.2011 के विरूद्ध पेश हुई है। जिसमें अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 8(2) कोलो.एक्ट के तहत स्वीकार किया है।

अधी.न्यायालय की पत्रवली का अवलोकन किया गया। निर्णय के गुणावगुण पर जाये बगैर रास्ता स्वीकृति के वर्तमान कानूनी प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए व इसके अधीन बने नियमों के तहत प्रकियाओं एवं प्रावधानुसार निर्णय किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.01.2011 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है

16/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कि किसकों रास्ता चाहिए कहां चाहिये, रास्ते की आवश्यकता बाबत Mandotory provision of Law यथा मौका निरीक्षण मुआवजा इत्यादि को मध्यनजर रखकर गुणागुवण के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर